न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील /16/2015

1—विशम्भर दयाल (मृतक)
1/1—सावित्री देवी पत्नी स्व0 विशम्भर दयाल । जाति जाट निवासी यूको बैंक
1/2—विक्रम ।
1/3—सुबरनसिंह । पुत्रान विशम्भर दयाल । के सामने वार्ड न01 डीग रोड
1/4—सन्दीप ।
1/5—सीमादेवी पुत्री विशम्भर दयाल । कुम्हेर तहसील कुम्हेर
2— रमेशसिंह पुत्र गिर्राज

.....अपीलान्ट

बनाम

1— नारायनदास पुत्र विसन्दराम, (मृतक)
1/1—हरचन्द ।
1/2—राजू ।— पुत्रान स्व0 नारायनदास
1/3—बबुआ ।
2—नन्दलाल पुत्र विन्दराम (मृतक)
2/1—हुक्मचन्द । पुत्रान नन्दलाल
2/2—मनीश ।
3 — जगदीशप्रसाद पुत्र हरीसिंह जाति ब्राहम्ण निवासी कस्वा नदबई
4— राधेश्याम
5— महेशचन्द
6— बाबूलाल
7— गिरधारी लाल
8— ओमप्रकाश
9— विमलेश
पुत्रान हरीसिंह जाति ब्राहम्ण निवासी कस्वा नदबई तहसील नदबई जिला भरतपुर

..... रेस्पो0

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू—राजस्व अधिनियम विरुद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार नदबई दिनांक 11—8—1989 बावत नामान्तकरण संख्या 1243 कस्वा नदबई प्रथम तहसील नदबई।

उपस्थित :—
1—श्री महाराजसिंह डांगुर अभिभाषक अपीलान्टस,
2—श्री पंकज कुमार अभिभाषक रेस्पो0

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर

निर्णय दिनांक 27.09.2024

अपीलान्ट ने यह अपील विरुद्व रेस्पो0 व खिलाफ आदेश तहसीलदार नदवई नामान्तकरण संख्या 1243 दिनांक 11–08–1989 पेश की गई है। अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 1243 दिनांक 11–08–1989 नन्दलाल पुत्र विसन्दाराम जाति खत्री सा.देह के हक 8/9 हि0 खातेदारी का स्वीकार किया गया है। उक्त नामान्तकरण से व्यथित होकर अपीलान्टस ने यह अपील पेश की है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. एवं पत्रावली तहत तलव की गई। तहसीलदार नदबई के पत्र क्रमांक एल.आर./24/1999 दिनांक 29.5.2024 से नामान्तकरण की सत्यप्रतिलिपि प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली की गई। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित कथनों दोहराते हुये जाहिर किया कि अपीलान्ट के पिता स्व0 गिर्राज पुत्र नन्दलाल को आराजी गत खसरा नम्बर 758 मिन/2–13 बाके नदबई तहसील नदबई कस्टोडियन से कृषि कार्य हेतु विधिवत रुप से दिनांक 8.9.1961 को पट्टा हुआ था, जिसके आधार पर गिर्राज पुत्र नन्दलाल गैरखातेदार अंकित कर दिया गया तथा अन्य रकवा 1 बीघा पर रेस्पो. संख्या 1 व 5 बीघा 1 विस्वा पर रेस्पो संख्य 2 अंकित हो रहा था लेकिन भू प्रबन्ध विभाग ने संम्वत् 2020 में नये खसरा 950/1–16 पर उक्त गिर्राज को 8/9 हिस्सा पर व 1/9 हिस्से पर रेस्पो संख्या 1 नारायनदास पुत्र विसन्दा राम को गैर खातेदार काश्तकार अंकित कर दिया गया। विवादित नामान्तकरण संख्या 1243 से उक्त गिर्राज का नाम 8/9 हिस्से भी निर्णय करते हुए उक्त रेस्पो संख्या 2 के नाम अंकित करने का आदेश दिया जिससे अपीलार्थी परिवेदित है। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट का तर्क है कि अपीलार्थी के पिता वहैसियत पट्टेदार खातेदार काश्तकार काबिज रहे है उनकी मृत्यू सन 1986 से पूर्व में हुई है उन्होने कोई विक्रय पत्र रेस्पो. 2 नन्दलाल के हक में नही कराया है, उनके मरने के बाद अपीलार्थी आराजी पर काबिज काश्तकार है। रेस्पो संख्या 2 को अपीलार्थी के पिता स्व. गिर्राज के हक किये गये आवंटन को निरस्त कराने व अपने हक में कोई सनद जारी कराने का अधिकार नहीं है। रेस्पो संख्या 2 के हक बताई गयी कथित सनद 174 दिनांक 9.8.89 कतई गलत है और आरम्भ से शून्य है। विवादित आराजी पर नन्दलाल का कभी कब्जा नहीं रहा है। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट का यह भी तर्क है कि रेस्पो संख्या 1 व 2 नन्दलाल व नारायनदास पुत्रान विसन्दा राम द्वारा किसी बयनामा दिनांक 20.6.92 के आधार पर रेस्पो संख्या 3 से 9 के पिता स्व0 हरीराम के हक में किया गया दर्ज किया गया नामान्तकरण संख्या 1419 से खातेदारी दिनांक 21.7.92 दिया गया आदेश गलत है निरस्तनीय है। हरीराम के मृत्यू हो चुकी है इसलिये उसके वारिसान के नाम खातेदारी इन्द्राज किये गये हैं। अपीलाधीन आदेश जानकारी दिनांक 23.4.

.....3

जिला कलक्टर
भरतपुर

2015 को हल्का पटवारी के बताने पर हुई, नकल वगे0 लेकर जानकारी होने की दिनांक से अपील अन्दर म्याद पेश की गई है। अपील की देरी को माफ करने के लिये धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अन्त में अपील स्वीकार की जाकर नामान्तकरण संख्या 1243 दिनांक 11.8.1989 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

योग्य अभिभाषक रेस्पो0 ने अपने तर्कों में जाहिर किया कि अपीलान्ट ने अपील करीब 26 साल बाद म्याद बाहर पेश की गई है। प्रार्थना पत्र म्याद अधिनियम में जो तथ्य अंकित किये गये वे झूठे हैं, पटवारी हल्का से जानकारी होना बताते हैं गलत है पटवारी का कोई शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। योग्य अभिभाषक रेस्पो. का तर्क है विवादित नामान्तकरण संख्या 1243 की जानकारी अपीलार्थी0 के पिता को शूरु से ही थी, उन्होने अपने जीवन काल में नामान्तकरण संख्या 1243 के खिलाफ कोई अपील प्रस्तुत नहीं की। मौके पर अपीलान्ट का कोई कब्जा नहीं है, रेस्पो ही विवादित आराजी पर काबिज हैं। प्रार्थीगण के पिता स्व0गिर्राज ने भी अपने जीवन काल में नामान्तकरण संख्या 1243 के खिलाफ कोई अपील नहीं की। अपीलार्थी अपीलाधील आदेश नामान्तकरण संख्या 1243 से प्रभावित नहीं है। योग्य अभिभाषक रेस्पो. ने नामान्तकरण संख्या 1243 की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हुये बताया कि यह नामान्तकरण सनद संख्या 174 दिनांक 9.8.89 की पालना में दर्ज किया गया जाकर तहसीलदार नदबई द्वारा स्वीकार किया गया है। यह नामान्तकरण नन्दलाल पुत्र विसन्दराम जाति खत्री को आराजी खसरा नम्बर 951 रकवा 1 बीघा 18 विस्वा के 8/9 हिस्सा खातेदार दर्ज किया गया है। अपीलान्ट या उनके पिता ने मूल आदेश सनद 174 दिनांक 9.8.89 के खिलाफ कोई अपील नहीं की है। सनद आज भी अस्तित्व में है। योग्य अभिभाषक ने बताया कि विवादित आराजी पहले गिर्राज पुत्र नन्दलाल कोम जाट को आवंटित हुई थी, गिर्राज द्वारा जमीन की कीमत जमा नहीं कराने के कारण गिर्राज पुत्र नन्दलाल को किया गया आबंटन निरस्त किया जाकर, दिनांक 12.4.67 को वर्तमान कब्जाधारी नन्दलाल पुत्र विसदराम द्वारा भूमि की पूरी कीमत जमा कराने पर विवादित आराजी खसरा नम्बर 951 रकवा 1 बीघा 18 विस्वा के 8/9 हिस्सा जमा कराने पर सनद जारी कर दी गई और मुताविक खातेदार दर्ज हुआ है। योग्य अभिभाषक ने अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.टी. 2005(2) पेज 774 उद्धरत किया तथा अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

प्रथमतः अपील की म्याद बिन्दू पर विचार किया गया।

आर.आर.डी.2002 पेज 37 में माननीय उच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया है कि :–

.....3

जिला कलक्टर
भरतपुर

" Limitation Act,1963 Section 5 & While considering the question of condonation of delay in filing of revision, appeal or reference by State Govt. the Court,Tribunal or Authority has to first consider merists of the matter and where there is good case on merits the rule is to condone result in public mischief on skilful management of delay in the process of filing appeal etc. and public at large would be sufferer That makes a distinction and category of litigant State as compared to ordinary litigants."

आर0बी0जे0(4)1997 पेज 257, माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने प्रतिपादित किया है कि :—

" Liberal view should be Taken in Condoning The Dely in Filling the appeal"

उक्त नज़ीरों की परिप्रेक्ष्य में अपील को अन्दर म्याद शुमार करते हुये, अपील की मैरिट पर विचार किया गया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभय पक्षकारान के कथनों पर गौर किया। योग्य अभिभाषक रेस्पो. द्वारा उद्धरित रुलिंग का ससम्मान अध्ययन किया गया। अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 1243 दिनांक 11—8—89 कस्वा नदबई तहसील नदबई का अवलोकन किया। उक्त अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 1243 में हो रहे इन्द्राज पर गौर किया गया। नामान्तकरण(आराजी खसरा नम्बर 951 रकवा 1 बीघा 18विस्वा पर) कॉलम 7 में गिर्राज बल्द नन्दलाल कौम जाट 8/9 हिस्सा सा.देह. गैर खातेदार दर्ज है, नामान्तकरण के कालम संख्या 9 में नन्दलाल पुत्र विसन्दराम जाति खत्री सा.देह खातेदार 8/9 हि0 बाकी बदस्तूर दर्ज है। इसी नामान्तकरण के कालम संख्या 14 में इन्द्राज है जो इस प्रकार है :—

"....खातेदारी हुकमन आदेश तह0 कंमाक 519 दिनांक 9.8.89 व सनद नं0 174 दि0 9.8.89..... ।"

उक्त नामान्तकरण के कॉलम नम्बर 16 में दर्ज है जो इस प्रकार है '—

".....मुताविक आदेश तहसील क्रमांक 519 दिनांक 9.8.89 व सनद नं0 174 दिनांक 9.8.89 की अनुपालना मे खातेदारी का नामान्तकरण दर्ज कर वास्ते मंजूरी पेश है..... ।"

अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 1243 की पुष्त पर अंकित इबारत (नोट) का अवलोकन किया गया जो जो तहसीलदार नदबई द्वारा एक पत्र क्रमांक तराले/ 519 दिनांक 9.8.89 को पटवारी हल्का, नदबई को लिखा गया इस प्रकार है —

.....5

जिला कलक्टर
भरतपुर

"..... विषयान्तर्गत लेख है कि कस्बा नदबई में आराजी खसरा नम्बर 951 रकवा 1 बीघा 18 विस्वा का 8/9 हिस्सा जो कि गिर्राज पुत्र नन्दलाल जाट को पूर्व में आवंटन था बावजूद नोटिस कीमत जमा न कराने....होने तथा वर्तमान कब्जाधारी को 12.4.67 को विक्रय करने के कारण आबंटन निरस्त कर दिया गया है तथा वर्तमान कब्जाधारी नंदलाल पुत्र विसन्दाराम को दिनांक 12.4.67 से कब्जा मानते हुये नियमन किया गया है तथा 900/—रुपये स्टे .... कीमत जमा कराकर सनद जारी कर दी गई है मुताविक सलंग्न सनद खातेदार दर्ज किया जावे ..... ।"

इस प्रकार अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 1243 में अंकित उक्त इन्द्राजात से यह निर्विवाद है कि यह नामान्तकरण नन्दलाल पुत्र विसन्दराम जाति खत्री के हक में जारी सनद नम्बर 174 दिनांक 9.8.89 की पालना में दर्ज किया जाकर दिनांक 11.8.89 को तहसीलदार नदबई द्वारा स्वीकार किया गया है।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट की ओर से ऐसा कोई साक्ष्य दस्तावेजी पेश नहीं किया गया है जिससे यह जाहिर हो कि उक्त सनद के खिलाफ सक्षम न्यायालय मे कोई चाराजोही की गई हो। यानि सनद आज भी अस्तित्व में है। उक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि तहसीलदार नदबई ने सनद 174 दिनांक 9—8—89 जो कि नन्दलाल पुत्र विसन्दराम के हक में जारी की गई है की पालना में अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 1243 दिनांक 11.8.89 को स्वीकार किया गया है, जिसमें तहसीलदार नदबई ने कोई त्रुटि नहीं की है। आर0आर0टी0 2005(2) पेज 774 में प्रतिपादित किया है कि —

"------Rajasthan Land Revenue Act 1956 Sec 84- Land acquired by order of special officer & in complaince of the order land mutated in the name of UIT-Order of attestation of mutation challenged but Courts below dismissed the appeal- Revision-Basic foundation of the mutation is the order of acqulsition of land – without challenging the order of acquistion of land, mutation cannot be cancelled- No legal or jurisdictional error in the order of Courts below & upheld. ....."

इसके बाद आराजी खसरा नम्बर 951 रकवा 1 बीघा 18 विस्वा का बेचान

.....6

जिला कलक्टर
भरतपुर

जरिये बयनामा दिनांक 20.6.92 को हो जाने के कारण मुताविक बैयनामा दिनांक 20.6.92 के आधार पर नामान्तकरण संख्या 1419 दिनांक 5.8.92 स्वीकार किया जाकर उक्त आराजी पर हरीराम पुत्र. बल्लभराम कोम ब्राहम्ण सा. देह खातेदार विधिवत दर्ज किया गया है जो विधिवत है। अस्तु अपील अपीलान्ट काबिल खारिज के रहती है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।
निर्णय आज दिनांक 27.9.2024 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर
भरतपुर

न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर (राज.)